(13)

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः प. 1(3)राज.6/2011 पार्ट/03 जयपुर, दिनांकः– 03-05-2016

परिपत्र

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रिय अधिनियम सं0 30 वर्ष 2013) दिनांक 1.1.2014 से प्रभावशील हो चुका है।

अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अन्तर्गत किसी भी समय सरकार को किसी लोक प्रयोजन के लिये भूमि अर्जन करना हो तब प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर यथास्थिति पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम के साथ परामर्श से ऐसी रीति में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने का प्रावधान है।

केन्द्रिय अधिनियम, 2013 की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा नियम निर्मित कर राजस्थान राज–पत्र में प्रकाशित किये जा चुके है। सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन संबधी कार्य विश्वविधालयों और कालेजो के समाज विज्ञान संकायों, गैर सरकारी संस्थाओं एवं प्रोफेशनल के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान नियम, 2016 के नियम 6 में रखा गया है। इस कार्य सम्पादन हेतु फीस भुगतान का भी प्रावधान है।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्य हेतु विभिन्न विश्वविधालयो एवं महाविद्यालयों के समाज विज्ञान संकायों के विभागाध्यक्ष एवं आचार्यो की सूची इस विभाग को भिजवाने हेतु लिखा गया। इसकी पालना में विभिन्न विश्वविधालयों एवं कालिजो से प्राप्त सूची सलंग्न है। इसी क्रम में गैर–सरकारी संस्था Centre for Development Communication and Studies, Nannu Marg, New Sanganer Road, Jaipur, द्वारा भी अपने कार्य अनुभव के आधार पर सामाजिक समाघात निर्धारण कार्य सम्पादन हेतु इच्छा व्यक्त की है।

सामाजिक समाघात निर्धारण कार्य निष्पादन हेतु पेनल सूची तैयार की गई है ताकि सामाजिक समाघात कार्य सुपुर्द करने हेतु एजेंसी सुलभ हो सके।

अतः विश्वविधालयों/महाविद्यालयों के सामाजिक विज्ञान संकायो एवं गैर–सरकारी संस्था CDECS, Jaipur को पैनल में रखा जाकर इसकी सूची इस परिपत्र के माध्यम से आपको प्रेषित की जा रही है। ताकि भूमि अवाप्ति हेतु पंचायत, नगरपालिका या नगरनिगम के साथ परामर्श कर इस पैनल के माध्यम से किसी एक एजेंसी का चयन कर सामाजिक समाघात निर्धारण कार्य सुगमता से आरम्भ हो सके।

संलग्नः– उक्तानुसार

भवदीय

(कुंज बिहारी पण्डया)
संयुक्त शासन सचिव
0/c

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय राजस्व (स्वतंत्र प्रभार)।
2. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव..

3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
5. राविरा, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, महार्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, बाबू शोभाराम राजकीय महाविद्यालय, अलवर, राजकीय महाविद्यालय, सिरोही एवं मुख्य कार्यकारी एवं सदस्य सचिव सेंटर फार कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीज, नन्नूमार्ग देवी नगर, जयपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।

संयुक्त शासन सचिव
OIC

सामाजिक समाधात अध्ययन निर्धारण हेतु तैयार किये गये पैनल की सूची :–

क्रम संख्या	नाम	पद	विश्व विद्यालय/ महाविद्यालय
1.	डॉ0 (श्रीमती) लक्ष्मी ठाकुर	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनसंख्या अध्ययन विभाग	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर
2.	डॉ0 शिव दयाल सिंह	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर
3.	डॉ0 अनुपमा साहा	व्याख्याता समाजशास्त्र (विभागाध्यक्ष)	राजकीय महाविद्यालय सिरोही
4.	डॉ0 अनिता जैन	व्याख्याता समाजशास्त्र	राजकीय महाविद्यालय सिरोही
5.	श्रीमती कौशल्या भनावत	विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
6.	प्रो0 विजय वीर सिंह	आचार्य अर्थशास्त्र विभाग	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
7.	प्रो0 अल्पना कटेजा	आचाय अर्थशास्त्र विभाग	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
8.	प्रो0 कृष्ण गोपाल शर्मा	विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
9.	प्रो0 विभा उपाध्याय	आचार्य इतिहास विभाग	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
10.	प्रो0 नरेश दाधीच	विभागाध्यक्ष, राजनीति शास्त्र विभाग	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
11.	प्रो0 शशी सहाय	आचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
12.	प्रो0 विद्या जैन	आचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
13.	प्रो0 निधिलेखा शर्मा	आचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
14.	प्रो0 औम प्रकाश महला	विभागाध्यक्ष, लोकप्रशासन विभाग	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
15.	प्रो0 संगीता शर्मा	आचार्य लोकप्रशासन विभाग	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
16.	प्रो0 दीपक भटनागर	आचार्य, लोकप्रशासन विभाग	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
17.	प्रो0 सोहन लाल शर्मा	विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
18.	प्रो0 संजीव भानावत	विभागाध्यक्ष, जन संचार केन्द्र	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

19.	डॉ0 शशी उपाध्याय	निदेशक, दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
20.	डॉ0 अखिलेश गुप्ता	विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी	बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर
21.	श्री विश्राम लाल मीणा	विभागाध्यक्ष, अथशास्त्र	बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर
22.	श्रीमती विमलेश गुप्ता	विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र	बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर
23.	डॉ0 स्मिता मिश्रा	विभागाध्यक्ष, इतिहास	बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर
24.	डॉ0 बदलूराम शास्त्री	विभागाध्यक्ष, संस्कृत	बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर
25.	डॉ0 कमला बाई यादव	विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान	बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर
26.	डॉ0 हरिराम मीणा	विभागाध्यक्ष, भूगोल	बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर
27.	डॉ0 कैलाश पुरोहित	विभागाध्यक्ष, हिन्दी	बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर
28.	डॉ0 उपेन्द्र के. सिंह	मुख्य कार्यकारी एवं सदस्य सचिव	Centre for Development communication & Studies 133 देवीनगर, न्यू मार्ग, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

acer/D/lalit/